समस्त पत्र–व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या :...../सम्ब.अनु./2026

दिनांक :.....

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ–226007

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सहयुक्त महाविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
(जनपद–लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई)।

विषयः मा0 उच्च न्यायालयए इलाहाबाद में योजित रिट याचिका WRIT संख्या-25241/2026 In Re Compliance With The Directions Issued By The Supreme Court in Suo-Moto Writ Petition Civil No. 5 Of 2025 Versus State Of U.P Through Secretary (Home) UP At Lucknow में पारित आदेशों के अनुपालन में प्रत्येक महाविद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर गूगल फॉर्म पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विशयक शिक्षा निदेशक (उ0शि0), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्राांकः डिग्री विकास/1827/2026-27 दिनांक 09.10.2026 तथा अनुस्मारक-1 पत्राांकः डिग्री विकास/1883/2026-27 दिनांक 30.10.2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो शासन के पत्रा संख्या-1053/सत्तर-3-2026-2006547 दिनांक 06.10.2026ए पत्रा संख्या-1157/सत्तर-3-2026-2006547 दिनांक 30.10.2026 एवं विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-8, उ०प्र० शासन के पत्रांक संख्या-2231/9-8-2026-10ज/2023टी.सी.-1992903 दिनांक 15.10.2026 के क्रम में निर्गत किया गया है।

अवगत कराना है कि प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2026 एवं 31.08.2026 के अनुपालन में निराश्रित श्वानों के प्रभावी प्रबंधन हेतु नगर विकास विभागए उ०प्र० शासन द्वारा विकसित ऑनलाइन वेबपोर्टल SANRAKSHAN (www.nagarvikasup.org) पर अपेक्षित सूचनाओं की प्रविष्टि तथा प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान के स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उच्च शिक्षा निदेशालय एवं शासन के उक्त निर्देशों के क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने महाविद्यालय में प्रश्नगत प्रकरण हेतु तत्काल एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए नामित नोडल अधिकारी का विवरण (महाविद्यालय का नाम, जनपद का नाम, नामित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई0डी0) निम्नलिखित गूगल फॉर्म लिंक पर अतिशीघ्र भरना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि संकलित सूचना समयबद्व रूप से शिक्षा निदेशक (उ0शि0), प्रयागराज एवं शासन को प्रेषित की जा सकेः-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKSfbjbLgm0scSteYsMrzamXRZZDnOxeeGQpDsrsgDtPRLqg/viewform?usp=publish-editor

भवदीया,

संलग्नकःयथोपरि।

(डॉ0 भावना मिश्र)
कुलसचिव

संख्या : R/1192/2026 दिनांक : 20/11/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. समन्वयक, सहयुक्त महाविद्यालय एवं लखनऊ विश्वविद्यालय।
3. इंचार्ज, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि समस्त को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

Ramesh

कुलसचिव

R-935
18/11/2026

ई - मेल/आज ही/अनुस्मारक - 1

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

GA-922
20/11/2026

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/ 1883 /2026 - 27 दिनांक - 30/10/2026

विषय – मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-25241/2026 In ReCompliance With The Directions Issued By The Supreme Court in Suo-Moto Writ Petition Civil No. 5 Of 2025 Versus State Of U.P Through Secretary (Home) UP At Lucknow" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1053/सत्तर – 3 – 2026 – 2006547 दिनांक 06.10.2026 एवं 1157/सत्तर – 3 – 2026 – 2006547 दिनांक 30.10.2026 एवं इस कार्यालय के पत्रांक डिग्री विकास/1827/2026 – 27 दिनांक 09.10.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराना है कि विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-8, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-2231/9-8-2026-10ज/2023टी.सी.-1992903, लखनऊः दिनांक 15 अक्टूबर, 2026 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-25241/2026 In Re Compliance With The Directions Issued By The Supreme Court In Suo-Moto Writ Petition Civil No.5 Of 2025 Versus State Of U.P Through Secretary (Home) U.P At Lucknow में पारित आदेश दिनांक 14.08.2026 **(प्रति संलग्न)** के क्रम में नगर विकास विभाग के पत्र संख्या-1854/9-8-2026-10/202321.08.2026 (संलग्न) के क्रम में राज्य मण्डल एवं जनपद स्तर पर नोडल समिति का गठन किया गया है। प्रश्नगत रिट याचिका में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रदिनांक 14.08.2026 में निराश्रित श्वानों के प्रभावी प्रबंधन हेतु आनलाइन पोर्टल विकसित किये जाने का आदेश भी दिया गया है, जिस पर समस्त संबंधित विभाग/अधिकारीगण अपने से संबंधित सूचनाओं की प्रविष्टि मा० न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार अंकित कर सकेंगे।

2- उक्त संदर्भित पत्र के साथ यूपीडेस्को द्वारा सृजित लॉग-इन आई.डी. एवं पासवर्ड की सूची संलग्न उपलब्ध कराते हुए यूपीडेस्को द्वारा विकसित आनलाइन वेबपोर्टल जिसका डोमेन - www.nagarvikasup.org पर स्वयं से संबंधित सूचनायें वेबपोर्टल पर प्रविष्ट/अंकित कराने के संबंध में आवश्यक अग्रतर कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है।

3- सूच्य है कि शासन के पत्र संख्या 1053/सत्तर-3-2026-2006547, दिनांक 06-10-2026 के माध्यम से SANRAKSHAN पोर्टल जिसका डोमेन - www.nagarvikasup.org पर अपेक्षित सूचनाएं फीड करने एवं अपने संस्थान के स्तर पर विषयगत प्रकरण में नोडल अधिकारी नामित करते हुए नोडल अधिकारी एवं प्रकरण में विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं की सत्यापित सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त बैठक में नगर विकास विभाग द्वारा विकसित किये गये पोर्टल SANRAKSHAN (URL-https://nagarikasup.org/) पर अपेक्षित सूचनाओं को फीड करने तथा प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रश्नगत प्रकरण हेतु नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के संबंध में विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों जो कि अपने विश्वविद्यालय के पदेन नोडल अधिकारी नामित हैं। अतएव शासन की अपेक्षानुसार आपसे पुनः यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर संबंधित नोडल अधिकारी की सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से पुनः यह अपेक्षा की जाती है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों से संपर्क स्थापित कर जनपद स्तर पर जनपदीय नोडल अधिकारी नामित कराते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूचना पीडीएफ एवं एक्सेल में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

O.S.C.G.A)
Sri JBS Thapa (Retd)

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,

डॉ0 (मोनिका सिंह),
शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

DM

Reg
19-11-26

पृष्ठांकन संख्या - डिग्री विकास/ **1883 – 85** /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालयों को पत्र प्रेषित कर अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

डॉ0 (अजीत कुमार सिंह)
सहायक शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

ई – मेल

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/ 1827 /2026 – 27 दिनांक - 09/ 10/2026

विषय – मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-25241/2026 In ReCompliance With The Directions Issued By The Supreme Court in Suo-Moto Writ Petition Civil No. 5 Of 7025 Versus State Of U.P Through Secretary (Home) UP At Lucknow" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1053/सत्तर – 3 – 2026 – 2006547 दिनांक 06.10.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराना है कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-25241/2026 in ReCompliance With The Directions Issued By The Supreme Court in Suo-Moto Writ Petition Civil No. 5 Of 2025 Versus State Of U.P Through Secretary (Home) UP At Lucknow ने पारित आदेश दिनांक 14.08.2026 एवं 31.08.2026 के अनुरूप नगर विकास विभाग द्वारा विकसित किये गये वेबपोर्टल के क्रियाशील होने एवं उस पर समस्त विभागों की सूचनायें अंकित कर मा० न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.10.2026 को प्रस्तुत की जानी है। इस संबंध में यू०पी० डेस्को द्वारा विकसित किये गये पोर्टल पर विभागवार सूचनायें भरे जाने हेतु प्रशिक्षण के संबंध में सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2026 को बैठक सम्पन्न हुई।

उक्त बैठक में नगर विकास विभाग द्वारा विकसित किये गये पोर्टल SANRAKSHAN (URL-https://nagarikasup.org/) पर अपेक्षित सूचनाओं को फीड करने तथा प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रश्नगत प्रकरण हेतु नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि नामित नोडल अधिकारी एवं विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर सत्यापित सूचना नगर विभाग अनुभाग-8 को उपलब्ध कराया जाय।

उक्त के संबंध में विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों जो कि अपने विश्वविद्यालय के पदेन नोडल अधिकारी नामित हैं। अतएव शासन की अपेक्षानुसार आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर संबंधित नोडल अधिकारी की सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों से संपर्क स्थापित कर जनपद स्तर पर जनपदीय नोडल अधिकारी नामित कराते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूचना पीडीएफ एवं एक्सेल में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

जनपदीय नोडल पंजीकरण हेतु आवश्यक विवरण

(District Nodal Registration)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	जनपद का नाम	नामित जनपद नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नंबर	ई – मेल आई0डी0
1	2	3	4	5	6	7
1.						

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,

9/10/26

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या – डिग्री विकास/ 1827-29 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालयों को पत्र प्रेषित कर अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9/10/26

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।